

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

15 (17)  
09.1.17

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी विभागों के गठन होने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या-17/विविध-08/11-41(17) दिनांक 15.01.2013 द्वारा चिकित्सक शिक्षकों को पैतृक विभाग (औषधि) से वरीयता अलग कर सुपर स्पेशियलिटी विभाग (इन्डोक्राइनोलॉजी) में नामित की गई है। तदनुसार सुपर स्पेशियलिटी इन्डोक्राइनोलॉजी विभाग की औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की जाती है।

इस वरीयता सूची के विरुद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो, सभी साक्ष्यों के साथ प्रकाशन तिथि से एक पक्ष के अंदर संबंधित प्राचार्य के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।

सुपर स्पेशियलिटी इन्डोक्राइनोलॉजी विभाग की वरीयता सूची

वरीयता क्रमांक	चिकित्सक शिक्षक का नाम एवं पैतृक विभाग (औषधि) का वरीयता क्रमांक	गृह जिला	जन्म तिथि	सहायक प्राध्यापक / सीनियर रेजिडेंट की अधिसूचना संख्या एवं तिथि	वर्तमान पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
	डा० सुरेन्द्र कुमार	पटना	15.01.56	—	17.06.10 498 (17)	सह प्राध्यापक

(शेखर चन्द्र वर्मा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 2-44/07 - 15 (17) पटना, दिनांक :- 09.1.17

प्रतिलिपि :-प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय के संबंधित अधीनस्थ चिकित्सक शिक्षकों को वरीयता सूची अपने स्तर से उपलब्ध/परिचारित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।